आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–08 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता–स्व0 परेश सरदार, ग्राम0–गोमिया साई, पो0–हल्दी पोखर, थाना–कोवाली, जिला–पूर्वी सिंहभूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का कोई प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम द्वारा नहीं भेजा गया है और आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी न तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं न ही दूरभाष पर। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निदेश देता है कि वो इस बात की जांच कर आयोग को अपना प्रतिवेदन समर्पित करें कि शिकायतकर्ता द्वारा राशन नहीं मिलने की शिकायत करने पर उनका राशन कार्ड किस परिस्थिति में निरस्त कर दिया गया है। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो शिकायतकर्ता के साथ तत्काल न्याय करना सुनिश्चित करें और उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् मिलने वाली सुविधायें तत्काल बहाल कराना सुनिश्चित करें। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम इस वाद के पिछली सुनवाई, जो कि दिनांक–11.03.2024 को थी, में भी अनुपस्थित थे। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम जिला आपूर्ति पदाधिकारी के इस स्वेच्छाचारिता के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मन्तव्य के साथ आयोग को उपलब्ध कराएँ। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–12.04.2024 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx15	